न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–88/2017

1. कालूराम पुत्र जयनारायण, जाति मीणा निवासी ग्राम खोरामीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–अपीलान्ट/वादी–

बनाम

1. रामरतन पुत्र बिरदा जाति मीणा, निवासी ग्राम हरवर, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थार सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्तागणः

1– श्री पंकज कुमार शर्मा अपीलांट की ओर से

2– रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

:– निर्णय :– दिनांक :– 29–12–2017

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26–12–2012 बअदालत उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर वाद संख्या 18/2011 बउनवानी कालूराम बनाम रामरतन वगैरा प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी द्वारा एक वाद बाबत् तकासमा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का दायर किया गया कि ग्राम हरवर पटवार हल्का ढण्ड, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि के खाता संख्या 154 के खसरा नम्बर 838 रकबा 0.12 हैक्टै0 स्थित है जिसमें अपीलार्थी/वादी का हिस्सा 35/120 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित है तथा शेष 85/120 हिस्सा रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है इस प्रकार उक्त भूमि सामलाती है जिसका बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत तकास्मा करने के लिए अपीलार्थी/वादी ने रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर उक्त भूमि का बाई मीटृस एण्ड बाउण्डस के आधार पर एवं मूल्य लगान के आधार पर न्यायिक बंटवारा/तकासमा किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2012 पारित कर वादी का वाद डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलांट् द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि कुर्रेजात रिपोर्ट में खसरा नम्बर 838/1 अपीलार्थी वादी को दिया गया है तथा मूल खसरा नम्बर 838 रेस्पोडेंट प्रतिवादी संख्या 1 को दिया गया है इसके विपरीत प्रस्तावित नक्शें में मूल खसरा नम्बर 838 अपीलार्थी वादी को दे दिया गया है जो कि प्रथमदृष्टया देखने से ही बडा रकबा दिखाई देता है तथा रेस्पोडेंट प्रतिवादी को खसरा नम्बर 838/1 दिया गया है जो देखने मात्र से ही रकबा छोटा दिखाई देता है। इससे स्पष्ट है कि कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार नक्शा तहरीर नहीं किये गये है। अपीलार्थी वादी के अधिवक्ता ने वादी को आश्वस्त कर रखा था कि प्रकरण की स्पष्ट जानकारी प्रदान कर दी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

जावेगी तथा आवश्यकता पडने पर कार्यवाही के लिए बुला लिया जावेगा। इस पर वादी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया। दिनांक 17–01–2017 को जब अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की जानकारी चाही तो प्रथम बार जानकारी में आया कि वाद में पूर्व में ही निर्णय हो चुका है। तब अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण दावे की नकल हेतु दिनांक 17.01.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 18–01–2017 को नकल प्राप्त की। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है जिसे क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट बावजूद तामील अनुस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तो सही प्रस्तुत की गई है। परन्तु कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ नक्शा रकबे अनुसार नहीं बनाया गया है। कम रकबा वाले पक्षकार अपीलान्ट का नक्शा बडा बना दिया गया है तथा अधिक रकबा प्राप्त करने वाले रेस्पोडेंट का नक्शा छोटा बना दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

6– अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 07.11.2012 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा प्रस्तुत कर दिये थे। न्यायालय के समक्ष वाद अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 26.12.2012 को प्रकरण में बहस सुनी गई। उस दिवस अपीलान्ट वादी के अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं तथा उनके द्वारा बहस की गई है। अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है कि "प्रस्तुत रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट सही है। अतः वाद को अन्तिम डिक्री किया जाकर निर्णित किया जावे। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अभिभाषक ने बहस हेतु समय देने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वकील वादी ने ऐतराज करते हुए बताया कि प्रतिवादी को कुर्रेजात रिपोर्ट आने के बाद बहस हेतु चार अवसर दिये जा चुके है। गत तारीख पर अन्तिम अवसर दिया गया था। प्रतिवादी प्रकरण को लम्बित रखने हेतु बार–बार तारीख ले रहा हैं। कोई ऐतराज भी पेश नहीं किया। अतः प्रकरण का निस्तारण आज ही किया जावे।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई उपर्युक्त टिप्पणी से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वरवक्त बहस कोई आपत्ति कुर्रेजात नहीं की गई है बल्कि उनके द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई है। यहां तक कि अपीलान्ट वादी के अधिवक्ता द्वारा रेस्पोडेंट को बहस हेतु और अवसर दिये जाने पर आपत्ति भी प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की सहमति उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादी द्वारा यह कथन कर अपील प्रस्तुत की गई है कि कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शें को छोटा–बडा बना दिया गया है। उक्त आपत्ति अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष भी प्रस्तुत की जा सकती थी जो कि नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की गई है। अपीलान्ट वादी द्वारा अपील मियाद बाहर भी प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब के कोई स्पष्ट कारण भी अपील में अंकित नहीं किये गये है। वादी के अधिवक्ता के द्वारा जानकारी नहीं प्रदान करना विलम्ब का कारण बताया गया है परन्तु उनका कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से खारिज योग्य है। उपर्युक्त विवेचन से प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं है तथा विलम्ब से प्रस्तुत की गई है अतः मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण के आधार पर प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

7– अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26–12–2012 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8– निर्णय आज दिनांक 29–12–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर